प्रेस विज्ञप्ति

28.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वेबसाइट, होटल, रिसॉर्ट्स आदि की समीक्षा और रेटिंग की आड़ में अंशकालिक नौकरी घोटाले (पार्ट -टाइम-जॉब स्कैम) से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 580 बैंक खातों में जमा शेष राशि के रूप में 32.34 करोड़ रुपये अनंतिम रूप से कुर्क किया गया |

ईडी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, हैदराबाद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पता चला कि देश भर में फैले विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पार्ट-टाइम-जॉब घोटाले से संबंधित 50 से अधिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है।

ईडी जांच से पता चला कि साइबर घोटालेबाज (स्कैमस्टर) व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप पर भोले-भाले व्यक्तियों से संपर्क करते थे और पर्यटन वेबसाइटों, होटलों, रिजॉर्ट, पर्यटन स्थलों आदि को 5-स्टार रेटिंग देने के सरल कार्यों को करके 1000-1500 रुपये के बीच रोजाना आय वाले अंशकालिक नौकरियों (पार्ट-टाइम जॉब) की पेशकश करके उन्हें लुभाते थे | घोटालेबाज पीड़ितों का मूल विवरण एकत्र करते थे और उनके द्वारा प्रदान किए गए लिंक का उपयोग करके उन्हें कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों में शामिल होने के लिए कहते थे,जहां घोटालेबाजों के सहयोगी अत्यधिक नौकरियों की बात करते और पीड़ितों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उच्च आय दिखाने वाले संदेशों को धन्यवाद ज्ञापित करते थे। इसके बाद पीड़ितों को बैंक अकाउंट नंबर सहित अपने मूल विवरण का उपयोग करके फर्जी वेबसाइटों/एंड्रॉइड ऐप पर पंजीकरण करने के लिए कहा जाता । उन्हें लुभाने के लिए, घोटालेबाज द्वारा फर्जी वेबसाइटों और ऐप्स पर ई-वॉलेट पर 10,000 रुपये के ई-मनी/टोकन की पेशकश की जाती थी| पीड़ितों को अपने ऑनलाइन वॉलेट को टॉप अप करने और काम शुरू करने के लिए विभिन्न अलग-अलग बैंक खातों में पैसा जमा करने के लिए कहा जाता था। इस तरह वॉलेट बैलेंस हर कार्य सेट होने पर खाली हो जाता| विश्वास हासिल करने के लिए शुरुआत में कमीशन / आय को बैंक खातों में वापस लेने की अनुमति दी जाती थी । बाद में, व्हाट्सएप / टेलीग्राम के एजेंट पीड़ितों को अधिक काम करने और अधिक कमाई करने के लिए अतिरिक्त धन जमा करने के लिए मजबूर किया करते थे |

रेटिंग कार्यों के दौरान,उच्च कमीशन/पुरस्कार वाले प्रीमियम कार्यों के यादृच्छिक (रैंडम) पॉप-अप स्क्रीन पर दिखाए जाते जिनके लिए हालांकि अधिक धन जमा करने की आवश्यकता होती थी जिससे उनका वॉलेट बैलेंस नकारात्मक दिखने लगता। इसके बाद पीड़ितों को रेटिंग कार्य जारी रखने के लिए अपने वॉलेट को टॉप अप करने के लिए कहा जाता । भुगतान (टॉप-अप) न करने की स्थिति में, वॉलेट में जमा बैलेंस पर रोक लगा दिया जाता और उसे वापस निकाला नहीं जा सकता था | प्रीमियम कार्यों में अक्सर पीड़ितों से अतिरिक्त जमा की मांग की जाती और जो भुगतान नहीं कर सकते थे, उन्हें किसी भी तरह से धन जमा करने के लिए मजबूर किया जाता, ऐसा न करने पर उनके पूरे वॉलेट शेष जमा को जब्त कर लिया जाता था |

सभी कार्यों को पूरा करने के बावजूद, जब भी पीड़ित अपने ऑनलाइन वॉलेट में दर्शाये गए धन को निकालने की कोशिश करते, तो लेनदेन को विभिन्न यादृच्छिक कारणों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया जाता और अधिक धन, वापसी योग्य निकासी शुल्क के रूप में जमा करने के लिए कहा जाता। कुछ पीड़ितों द्वारा ऐसी फीस जमा करने के बाद भी निकासी नहीं की जा सकी थी और व्हाट्सएप एजेंट बात करना बंद कर देते थे।

यूएई में बैठे घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड ने बैंक खातों का संचालन किया और पहले से ही कई बिचौलियों से प्राप्त इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, डेबिट कार्ड और संबंधित सिम कार्ड के साथ चेक बुक युक्त बड़ी संख्या में बैंक खाता किट एकत्र किए, जिनके द्वारा कमीशन के बदले नकली / जाली दस्तावेजों या ऐसे किट का उपयोग करके फ़र्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोले गए थे|

ईडी जांच से पता चला कि घोटालाबाजों ने 175 से अधिक बैंक खातों में 524 करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्र किया ,जिनका उपयोग केवल 1-15 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए किया गया और धन को नियमित रूप से अन्य खातों में भेज दिया जाता|धन आवागमन (मनी ट्रेलिंग) से पता चला कि इन 175 बैंक खातों में एकत्र किए गए घोटाले के धन को 480 से अधिक बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया और इसका उपयोग मुख्य रूप से क्रिप्टो मुद्राओं की खरीद, आयात प्रेषण की आड़ में भारत और विदेशों में हवाला का भुगतान करने में किया गया ।

आगे की जांच चल रही है।